न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या:56/2011(राजस्व वाद)

दायर दिनांक– 12.8.2011
निर्णय दिनांक – 21/2/2018

अनवान

1–श्री लक्सी पिता कचरा डेण्डोर निवासी जेठाना
2– श्री गटू पिता कचरा डेण्डोर निवासी जेठाना
3– श्रीमती केसर पत्नि कचरा डेण्डोर निवासी जेठाना

(वादीगण)

बनाम

1– श्री भाणजी पिता डूँगर रोत निवासी पाडाफला जेठाना फौत के कायम मुकाम –
1/1–गवरा/भाणजी रोत
1/2– कंकु पूत्री भाणजी
1/3– कमु पुत्री भाणजी
1/4 –नगा पिता भाणजी
1/5– ताजू पिता भाणजी
1/6– गीता/रमेश रोत
1/7– रमीला पुत्री भाणजी
1/8– लिली पत्नि भाणजी
2– श्री शिवा पिता पना निवासी जेठाना
3– राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री शेलेन्द्र जैन
वकील प्रतिवादी– श्री कल्पेश रावल

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 125 सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट एवं खातेदार घोषित करने अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण मोजा जेठाना के होकर काश्तकार है । प्रतिवादी नं01 वादी संख्या 1 व 2 का फुफा एवं वादी संख्या 3 का ननदोई है। यह कि वादीगण के दादा के पना पिता राजेंग भील के जमाबन्दी खतोनी मोजा जेठाना संवत 2001 से 2010 तक में खाता संख्या 38 में खसरा संख्या 2299 रकबा 17 बिस्वा एवं खाता संख्या 358 शामलाल देह खसरा संख्या 2283 रकबा 1 बीघा बीड ,खाता संख्या 358/5शामलात देह खसरा संख्या 2489 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा संख्या 2490 रकबा 8 बिस्वा जिस पर वादीगण नं. 1 व 2 के दादा व 3 के ससूर का कब्जा एंव स्वामित्व था वे ही

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

काश्त करना बाड लगाना मरमात करना पेड लगाना आदि करते आ रहे है। यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 3 व 4 के उल्लेखानुसार उक्त आराजीयात फर्द तुलनात्मक संवत 2015 एवं संवत 2026 में परिवर्तित हुई । यह कि उक्त आराजीयात खसरा संख्या 2980,2981 रकबा कमश 2बीघा 4 बिस्वा एवं 17 बिस्वा पुरानी तथा 3773 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एंव 3774 रकबा 17 बिस्वा नई पन्ना पिता राजेंग की मृत्यु के बाद उनके दोनेा पूत्रों कचरा पिता पन्ना एवं शिवा पिता पन्ना डेण्डोर के खाते में पैतृक विरासती बंटवारे के आधार पर प्राप्त हुई जिस पर वे कब्जा एंव काश्त करते आ रहे है। यह कि उक्त आराजीयात खसरा संख्या 3773 एवं 3774 वादीगण के पिता एवं पति कचरा पिता पना की मृत्यु उपरान्त पैतृक बंटवारे में वादीगण के हिस्से में प्राप्त हुआ जिस पर वे बदस्तुर कब्जे एवं काश्त में हैं । यह कि वादी संख्या 2 जब उक्त आराजीयात की बाड को दुरस्त कर रहा था तब प्रतिवादी नं01 ने मोके पर विवाद किया तब वादीगण पटवारी के पास गए एंव जमीन की नकल निकलवाई तब वादीगण को पता चला कि उक्त जमीन तो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से दर्ज हो गई है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा झूठे एंव गलत तथ्य पेश कर तथा उक्त भूमि पर कब्जा एंव स्वामित्व नहीं होते हुए भी अपने नाम धोखे एंव कपटपूर्वक कर ली है । यह कि आराजी संख्या 3773 एंव 3774 पर वादीगण का अपने दादा एवं अपने पिता के समय से ही कब्जा एंव स्वामित्व चला आ रहा है एवं वादीगण ही इसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं पैतृक बंटवारे में उक्त जमीन वादीगण के पिता कचरा पना के हिस्से में आई एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के हिस्से में प्राप्त हुई । उक्त आराजीयाता वादीगण के कब्जे में है एंव वादीगण ही इसकी बाड काश्त आदि कार्य करते आ रहे हैं इस प्रकार उक्त आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जा मुखालपाना बनता है । यह कि उक्त आराजीयात वादीगण को अपने पैत्रक बंटवारे में प्राप्त हुई है जो त्रूटिपूर्वक प्रतिवादी के नाम चढ गई है का वादीगण के पक्ष में इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण केनाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक है । वाद के अन्त में वादीगण ने खसरा संख्या 3773 रकबा 2बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 3774 रकबा 17 बिस्वा जो कि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है एवं उन्हें पैत्रक बंटवारे में प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण का ही कब्जा है वादीगण के पक्ष में इन्द्राज दुरूस्तीकरण का ओदश चाहने एवं उक्त दोनेा आराजीयात पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया गया है ।

वादीगण की ओर से वाद पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ फर्द तुलनात्मक 2015,2028 ,नकल जमाबन्दी बन्दोवस्त संवत 2022,नकल जमाबन्दी खतोनी पना वल्द राजेंग संवत 2001 से 2010 ,फर्द तुलनात्मक 2028,नकल जमाबन्दी खतोनी पना/राजेंग संवत 2028,नकल नक्षा संवत 1972 मोजा जेठाना ,जमाबन्दी खतोनी संवत 2022 पना/राजेंग ,नकल जमाबन्दि संवत 65–68 भाणजी डूँगर ,नक्षा ट्रैस खसरा सहख्या 3773,3774 ,जमाबन्दी खतोनी कचरा ,शिवा पिता पना ,जमाबन्दी लक्सी ,गटू पिता कचरा ,केसर की प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए । प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वादी के समर्थन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 13.2.2012 को जवाब मय प्रतिदावा के प्रस्तुत किया ।वकील वादी की ओर से जवाबूल जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई –

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 1 –

आया वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 3773 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3774 रकबा 17बिस्वा वादीगण की पैत्रक सम्पत्ति है एंव पैत्रक बंटवारे मे प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण का ही कब्जा है अत : वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती करवा भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी है? (वादीगण)

तनकी संख्या 2 –

आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जा एंव स्वामित्व हैतथा कब्जा मुखालपाना के आधार पर वादी भूमि अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है ? (वादीगण)

तनकी संख्या 3 –

आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की शादी के समय उसकी पत्नि लीली को उसके पिता पना पिता राजेंग ने कन्यादान में दिया है जिस पर गत 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त कब्जा है । सेटलमेण्ट के समय मोतबीरान व्यक्तियों के रूबरू उक्त खसरों को भाणजी के नाम दर्ज कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया है ? (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 4 –

आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3773 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 3774 रकबा 17 बिस्वा प्रतिवादी के खाते होकर काश्त कब्जे में है अतः प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 5 –

दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह केसर बेवा कचरा ,खातरा पिता कचरू ,लक्सी पिता कचरा एवं मंगलिया पिता जगा डेण्डोर ,गटू पिता कचरा एंव रामा पिता करूपा के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए । वकील प्रतिवादी ने गवाहान से जिरह की गई । वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं अतः साक्ष्य वादी समाप्त की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई । वकील प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने पर भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर बहस हेतु अवसर प्रदान किया गया । दिनांक 12.2.2018 को वकील प्रतिवादी की ओर से NO INSTRUCTION करने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस सूनी गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र एवं जवाबूल जवाब मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 14 की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 3773 एवं 3774 वादीगण के पिता एवं पति कचरा पिता पना की मृत्यु उपरान्त पैतृक बंटवारे में वादीगण के हिस्से में प्राप्त हुआ जिस पर वे बदस्तुर कब्जे एवं काश्त में हैं। वादग्रस्त आराजीयात संख्या 3773 एंव 3774 पर

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

वादीगण का अपने दादा एवं अपने पिता के समय से ही कब्जा एंव स्वामित्व चला आ रहा है एवं वादीगण ही इसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं पैतृक बंटवारे में उक्त जमीन वादीगण के पिता कचरा पना के हिस्से में आई एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के हिस्से में प्राप्त हुई । उक्त आराजीयाता वादीगण के कब्जे में है एंव वादीगण ही इसकी बाड काश्त आदि कार्य करते आ रहे हैं इस प्रकार उक्त आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जा मुखालपाना बनता है । यह कि उक्त आराजीयात वादीगण को अपने पैत्रक बंटवारे में प्राप्त हुई है जो त्रूटिपूर्वक प्रतिवादी के नाम चढ गई है का वादीगण के पक्ष में इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण केनाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक है । बहस के अन्त में वकील वादी ने खसरा संख्या 3773 रकबा 2बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 3774 रकबा 17 बिस्वा जो कि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है एवं उन्हें पैत्रक बंटवारे में प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण का ही कब्जा है वादीगण के पक्ष में इन्द्राज दुरूस्तीकरण का ओदश चाहने एवं उक्त दोनो आराजीयात पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया जाकर बहस समाप्त की गई ।

वकील प्रतिवादी की ओर से बहस दिनांक को NO INSTRUCTION किया जाकर कोई बहस नही करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रेकार्ड अनुसार निर्णय हेतु निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज /साक्ष्य का अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया । तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1 –

आया वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 3773 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3774 रकबा 17बिस्वा वादीगण की पैत्रक सम्पत्ति है एंव पैत्रक बंटवारे मे प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण का ही कब्जा है अत : वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती करवा भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी है? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है । वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 जो कि खतौनी आसामीवार मोजा जेठाना संवत 2001–10 है में खाता संख्या 38 खसरा नम्बर 2299 रकबा 17 बिस्वा में खातेदार पना वल्द राजेंग भील एवं खाता संख्या 358 में खसरा नम्बर 2283 एवं खाता संख्या 358/5 खसरा नम्बर 2489,2490 खातेदार शामलात देह दर्ज रेकार्ड है । प्रदर्श – 2 फर्द तुलनात्मक संवत 2015 में उक्त आराजीयात 2283,2489,2490 का 2980 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2299 का 2981 रकबा 17 बिस्वा पडा । प्रदर्श – 4 जो कि खतोनी बन्दोवस्त ग्राम जेठाना संवत 2022 है में उक्त खसरा नम्बर 2980 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं 2981 रकबा 17 बिस्वा भाणजी वल्द डूँगर भीणा के नाम दर्ज रेकार्ड है । प्रदर्श– 3 फर्द तुलनात्मक है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2980 रकबा 2बीघा 4 बिस्वा का परिवर्तित खसरा नम्बर 3773 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2981 रकबा 17 बिस्वा का परिवर्तित खसरा नम्बर 3774 रकबा 17 बिस्वा पडा एवं प्रदर्श– 10 जो कि जमाबन्दी खतौनी ग्राम जेठाना संवत 2065–68 की है के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

802 नया 697 पुराना में खसरा संख्या 3773 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 3774 रकबा 17 बिस्वा खातेदार भाणजी पिता डूँगर मीणा के नाम दर्ज है ।

जहां पर उक्त आराजीयात वादीगण की पैत्रक होने ,बंटवारे में प्राप्त होने एवं कब्जा वादीगण का होने का प्रश्न है ,पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार मूल पुरूष राजेंग एवं राजेंग का पुत्र पना तथा पना के दो पुत्र कचरा तथा शिवा एवं पूत्री लिलि है । कचरा फौत हो चुका है एवं वादी संख्या 1 लक्सी एंव वादी संख्या 2 गटु कचरा के पूत्र तथा केसर वादी संख्या 3 कचरा की पत्नि है । पत्रावली में प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत समर्थन पत्र में वादीगण के पिता कचरा सगा भाई होना तथा विवादित जमीन दोनो भाईयों के बंटवारे में दोनेा भाईयों को प्राप्त होना बताया है । पर्चा मोका दिनांक 30.8.2012 प्रदर्श– 14 में खसरा संख्या 3773,3774 भाणजी पिता डूँगर के नाम दर्ज होकर करीब पीढी दर वर्षो से लक्सी पिता कचरा द्वारा काश्त करना बताया गया है । गवाह लक्सी ने अपने बयान जिरह में संवत 2022 से वर्तमान तक वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादी का कब्जे को अस्वीकार करते हुए दादा पना द्वारा उक्त खसरो को लीली को कन्या दान में दिए जाना गलत बताया है । वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह गटु/कचरा , रामा / करूपा ,केसर/कचरा,खातरा / कचरू ने भी अपने बयान में पना द्वारा लिलि को कन्यादान में देना एवं कन्यादान के समय से लिली का कब्जा होने की बात को गलत बताया है ।

वकील प्रतिवादी द्वारा वादपत्र के प्रस्तुत जवाबदावा के साथ प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादग्रस्त आराजीयात भाणजी पिता डूँगर के नाम दर्ज होना एवं करीब 50 वर्ष पूर्व पना पिता राजेंग ने भाणजी पूत्र डूँगर को अपनी पूत्री लीली की शादी के वक्त कन्यादान में दिए जाकर कब्जा सुपुर्द करा पना स्वयं द्वारा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराना बताते हुए तब से आज तक भाणजी खातेदार होकर काश्त करने का उल्लेख करते हुए वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का निवेदन किया गया है ।

वकील प्रतिवादी ने प्रतिदावा में उक्त तथ्यों का उल्लेख करने के अलावा उक्त तथ्यों की पुष्टि में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। वकील प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु दिनांक 21.9.216 से 22 अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।इसके अलावा वक्त बहस भी **NO INSTRUCTION** कर बहस नही की जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार निर्णय हेतु निवेदन किया गया है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 3773 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3774 रकबा 17बिस्वा वादीगण की पैत्रक सम्पत्ति होकर पैत्रक बंटवारे मे प्राप्त होना तथा वादीगण का कब्जा होना प्रमाणित होता है तथा प्रतिवादीगण की ओर से इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2 –

आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जा एंव स्वामित्व हैतथा कब्जा मुखालपाना के आधार पर वादी भूमि अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है ?

(वादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है । तनकी संख्या 1 के विवेचन में वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का स्वामित्व एवं कब्जा मुखलपाना साबित है जिसकी पुनः विवेचना आवश्यक नहीं होने से यह तनकी भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 –

आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की शादी के समय उसकी पत्नि लीली को उसके पिता पना पिता राजेंग ने कन्यादान में दिया है जिस पर गत 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त कब्जा है । सेटलमेण्ट के समय मोतबीरान व्यक्तियों के रूबरू उक्त खसरों को भाणजी के नाम दर्ज कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के समर्थन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि बंटवारे में प्राप्त होने की पुष्टि की है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की शादी के समय उसकी पत्नि लीली को उसके पिता पना पिता राजेंग ने कन्यादान में दिए जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है ,वकील वादी ने भी अपनी बहस में कहा है कि यदि वादग्रस्त आराजीयात लीली को कन्यादान में दी जाती तो खाते में उक्त आराजीयात लीली पुत्री पना अथवा लीली पत्नि भाणजी के नाम दर्ज होती लेकिन प्रदर्श 10 में खातेदार भाणजी पिता डूँगर दर्ज है । प्रतिवादीगण ने गत 50 वर्षो से वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए है । इस प्रकार प्रतिवादीगण पना पिता राजेंग के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात लीली को कन्यादान में देने तथा 50वर्षो से कब्जा काश्त होना दस्तावेज एंव साक्ष्य से प्रमाणित करने में असमर्थ रहे हैं ।

अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती हैं ।

तनकी संख्या 4 –

आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3773 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 3774 रकबा 17 बिस्वा प्रतिवादी के खाते होकर काश्त कब्जे में है अतः प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है । पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श – 10 जो कि जमाबन्दी ग्राम जेठाना संवत 2065–68 की है इसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर 3773 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3774 रकबा 17 बिस्वा के खातेदार के रूप में भाणजी पिता डूँगर मीणा दर्ज रेकार्ड है । वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य गवाह गटु/कचरा , रामा / करूपा ,केसर/कचरा,खातरा / कचरू ने अपने बयान में वादग्रस्त आराजीयात लीली को कन्यादान में नहीं दिया जाना तथा कब्जा प्रतिवादी का नहीं होना बताते हुए कब्जा वादीगण का होना बताया है । यहां यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि यदि वादग्रस्त आराजीयात लीली को कन्यादान में दी जाती तो खाते में नाम लीली पूत्री पना अथवा लीली पत्नि भाणजी दर्ज होना चाहिए था लेकिन खातेदार के स्थान पर भाणजी पिता डूँगर दर्ज है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन से वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा प्रतिवादी का होना साबित नहीं होता है जिससे प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 5 –

दादरसी ?

तनकी संख्या 1 से 4 की विवेचना से वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के बंटवारे में प्राप्त होना एवं वादीगण का ही कब्जा काश्त होना प्रमाणित होने से वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती करा कब्जे के आधार पर घोषणा कराने के अधिकारी है ।

अतः तनकी संख्या 1 से 5 वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार एंव डिक्री किया जाकर मौजा जैठाना की आराजी नम्बर 3773 रकबा 2बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3774 रकबा 17 बिस्वा जमाबन्दी संवत 2065–68 के वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किए जाने का आदेश दिया जाता है ।

डिक्री पर्चा जारी हो । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 21/11/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner